(d) if so, what are the reasons therefor; and

(e) the estimated funds saved as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) The physical target for providing assistance to families below poverty line under the Integrated Rural Development Programme (IRDP) has been provisionally lowered from 22.51 lakh families in 1991-92 to 18.75 lakh families in 1992-93. Within the budgetary constraints, emphasis has been given more on qualitative improvement of the programme by stepping up investment per family. As per the provisional figures of 1991-92 IRDP assistance has been provided to 23.56 lakh families against the target of 22.51 lakhs. The total capital outlay of the central government on IRDP in 1991-92 was Rs. 390.4 crores, subsequently revised to Rs. 370.4 crores. The State Governments were required to allocate matching funds of equal amount for this programme.

(c) Government has delinked the financial provisions of Training for Rural Self Employment (TRYSEM) Scheme from IRDP, from 1-4-91. That position continues. The question of further delinking does not arise.

(d) Does not arise.

(e) None.

Typical Villages

1320. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINSTER be pleased to state:

(a) whether there is any plan under Governfent's consideration to adopt typical villages in India and see that there is no scarcity of supplies, housing, education, health, jobs and all other basical needs; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) Under the Minimum Needs Programme of the State Governments funds are provided in the State Plans for provision of basic facilities, like education, health nutrition, roads, housing, drinking water supply and electrification in the villages. Besides, under the Centrally Sponsored Schemes like Jawahar Rozgar Yojana and Integrated Rural Development Progromme, self-employment and wage employment opportunities are created in the rural sector. There is no proposal under consideration for adoption of villages for providing all basic needs there.

भूमि सुधारों का कार्यान्वियन

1321. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि सुधारों से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के और कितने व्यक्ति अभी तक लाभान्वित हुए हैं ;

(ग) उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान उन्हें लाभान्वित करने के लिए बनायी गई विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इस समय कार्यान्वित की जा रही भूमि सुधारों से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

(1) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता । अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण भूमि सुधार के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक है तथा इस योजना

के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों सहित आबंटितियों को निवेश खरीदने, भूमि विकास के साधारण कार्य करने तथा तात्कालिक खपत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । अब तक अधिकतम सीमा से फालतू 48.07 लाख एकड़ भूमि को 46.42 लाख लाभार्थियों में वितरित किया गया है । राज्यों को अब तक 57.71 करोड़ की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है ?

(2) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना तथा भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाना इस योजना के तहत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए सहायता दी जाती है ।

(3) भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना । भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को शुरू करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करवाई जाती है ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [नीचे देखिए] राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने की योजनाओं तथा भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होते हैं ।

(घ) चालू योजनाओं के वर्ष 1992-93 के दौरान जारी रहने की संभावना है ।

विवरण

दिसम्बर, 1991 की तिमाही की समाप्ति तक अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वियन की प्रगति रिपोर्ट

क्र०सं०	राज्य केन्द्र/शासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति के लाभार्थी		अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी	
		क्षेत्र एकड़ों में	लाभार्थियों की संख्या	क्षेत्र एकड़ों में	लाभार्थियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	201249	177225	90243	68162
2	असम	35879	35139	48277	33134
3	बिहार	157517	190934	33577	35559
4	गुजरात	77937	12469	28087	12507
5	हरियाणा	49703	17642	0	0
6	हिमाचल प्रदेश	2305	2934	139	261
7	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0
8	कर्नाटक	69704	17742	2843	777
9	केरल	24625	57904	5097	7128
10	मध्य प्रदेश	45519	19788	71669	25707
11	महाराष्ट्र	150560	39195	101049	26283
12	मणिपुर	128	96	97	72
13	उड़ीसा	46560	42623	61338	46568
14	पंजाब	41689	10048	0	0
15	राजस्थान	135064	26688	46005	11648
16	तमिलनाडु	57738	54480	148	97
17	त्रिपुरा	218	256	448	359
18	उत्तर प्रदेश	246654	212656	1294	711
19	पश्चिम बंगाल	338976	741094	175579	384033
20	दादरा एवं नागर हवेली	48	24	5812	2743
21	दिल्ली	282	495	0	0
22	पांडिचेरी	611	796	0	0
	योग	1683966	1660228	671702	655749